छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 3 फरवरी, 2009

(माघ - 14, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य का नाम आसंदी द्वारा प्रश्न के लिए पुकारा गया। श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने सिंगारम की घटना का उल्लेख करते हुए, प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर पहले चर्चा कराने की बात कही।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल को स्थगित कर सिंगारम की घटना पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का आग्रह किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से आग्रह किया गया कि प्रश्नकाल में केवल प्रश्न होते हैं इसलिए प्रश्नकाल पहले होना चाहिए ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा की जा रही लगातार नारेबाजी तथा व्यवधान के मध्य माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया । माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री मोहम्मद अकबर का नाम प्रश्न पूछने के लिए पुन: पुकारा गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी तथा व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 11.15 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

(11.25 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया तथा प्रश्नकाल के पश्चात् इस पर विचार करने की बात कही।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी तथा व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही पुनः 11.27 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(12.00 बजेअध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा गोलापल्ली थाना अंतर्गत सिंगारम में पुलिस द्वारा नक्सली मुठभेड़ के नाम पर ग्रामीणों की हत्या किये जाने संबंधी 27 सदस्यों की प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा गृह मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए सदन की समिति से जांच कराने का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य से स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अपने विचार रखने का आग्रह किया ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से आग्रह किया गया कि प्रतिपक्ष सदन की परम्पराओं के अंतर्गत अपनी बात रखे तथा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ करे।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।)

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा सदन की समिति से जांच कराने का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष से आग्रह किया गया कि उनके प्रस्ताव के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है, अतएव माननीय सदस्य कार्यवाही बाधित न करें तथा उन्होंने श्री नंदकुमार पटेल,

सदस्य से ग्राह्यता के संबंध में चर्चा प्रारंभ करने का अनुरोध किया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा गृह मंत्री के वक्तव्य का संदर्भ देते हुए, चर्चा को औचित्यहीन प्रतिपादित करते हुए सदन की कमेटी से जांच कराने का आग्रह किया गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम प्रक्रियाओं का उद्धरण देते हुए प्रकरण की विषय वस्तु सब-ज्यूडिस होने के संबंध में उल्लेख किया गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न नहीं करने तथा सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य से स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ करने का आग्रह किया गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान तथा नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही तीसरी बार 12.34 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।

(12.42 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार से जांच की मांग की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से, प्रतिपक्ष से नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत सदन चलाने का आग्रह किया गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

प्रतिपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आए।

2. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, हृदयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, रामदयाल उईके, अजीत जोगी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, कुलदीप जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरूमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री बदरूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए व सदस्यों के निलंबन की अवधि पश्चात् विनिश्चित करने की सूचना दी ।

3. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(1) विनियोग लेखे वर्ष 2007-2008 (छत्तीसगढ़ सरकार), तथा

(2) वित्त लेखे वर्ष 2007-2008 (छत्तीसगढ़ सरकार)

पटल पर रखे।

5. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पारित 06 विधेयकों में से शेष रहे 01 तथा जुलाई, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से 07 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण पटल पर रखा गया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर शहर में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना का क्रियान्वयन न किए जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आने पर स्वयं निलंबित हुए सदस्यों के निलंबन की अवधि आज की बैठक समाप्ति तक के लिए निर्धारित की गई है ।

8. वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चाऔर मतदान के लिए दिनांक 4 फरवरी, 2009 की तिथि निर्धारित की।

अपराह्न 1.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 फरवरी, 2009 (माघ 15, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा